



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 929]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2017/कार्तिक 24, 1939

No. 929]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2017/KARTIKA 24, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2017

सं. 8/2017

सा.का.नि. 1423 (अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि भू-संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के खंड (यड) के अधीन यथापरिभाषित 'भू-संपदा अभिकर्ताओं' को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (धक) के उपखंड (iii) के अधीन "अभिहित कारबार या वृत्ति करने वाला व्यक्ति" समझा जाएगा।

[फा. सं. पी.12011/2/2015-एस.ओ.(ईएस सेल)]

बिप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2017

No. 8/2017

G.S.R. 1423 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (sa) of sub-section (1) of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby notifies that ‘real estate agents’ as defined under clause (zm) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (No. 16 of 2016) shall be deemed to be a “person carrying on designated business or profession” under sub-clause (iii) of clause (sa) of sub-section 1 of section 2 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002.

[F.No. P.12011/2/2015-S.O.(ES Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.